07.10.2019 वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सी.पी.सी. प्रस्तुत करनें पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया प्रार्थना पत्र में कथन किया कि पत्रावली में निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2019 को पारित हो चुका है, जिसमें राजीनामा प्रस्तुत किया गया था मुताबिक राजीनामा वादी जगदीश को चक 6 एम.डी.बी. के पत्थर नबर 168/316 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 कुल 1.209 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई थी तथा प्रतिवादी संख्या 3 को चक 8 के.एस.पी. के पत्थर नम्बर 164/314 किला नम्बर 12, 19, 20/.213 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है।

परन्तु निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादी जगदीश का किला नम्बर 15/.243 सहवन से निर्णय व डिक्री में दर्ज होनें से छुट गया व इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 को वाके चक नम्बर 8 के.एस.पी. के पत्थर नम्बर 164/314 किला नम्बर 12/.213, 19/.213 दर्ज हो गया जबकि किला नम्बर 12, 19 दर्ज होना था व कुल 1.179 हैक्टर दर्ज हो गया जबकि कुल 1.259 हैक्टर दर्ज होना था।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2019 में वादी जगदीश के कालम में चक 6 एम.डी.बी. का पत्थर नम्बर 168/316 किला नम्बर 15/2/.243 व प्रतिवादी संख्या 3 के कालम में चक 8 के.एस. पी. के पत्थर नम्बर 164/314 किला नम्बर 12/.253, व 19/.253 तथा कुल 1.259 हैक्टर दर्ज किया जानें के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में वादी के सुयोग्य अधिवक्ता को सुना गया विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को ही दोहराते हुए उक्तानुसार संशोधन हेतु निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता कथनो पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 12.09.2019 एवम् डिक्री दिनांक 19.09.2019 में हुई लिपिकिय त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर मुताबिक राजीनामा संशोधन करते हुए **"निर्णय दिनांक 12.09.2019 एवम् डिक्री दिनांक 19.09.2019 में वादी जगदीश के कालम में चक 6 एम.डी.बी. का पत्थर नम्बर 168/316 किला नम्बर 15/2/.243 व प्रतिवादी संख्या 3 के कालम में चक 8 के.एस.पी. के पत्थर नम्बर 164/314 किला नम्बर 12/.253, व 19/.253 तथा कुल 1.259 हैक्टर का संशोधन किया जाता है।"**

उक्त आदेश निर्णय दिनांक 12.09.2019 एवम् डिक्री दिनांक 19.09.2019 का भाग रहेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 215/2019

1 जगदीश पुत्र श्री लिछीराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1 लिछीराम पुत्र नेतराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 हंसराज पुत्र लिछीराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 औमप्रकाश पुत्र लिछीराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 मायादेवी पत्नी औमप्रकाश पुत्री लिछीराम जाति कुम्हार निवासी चक 7 ए.एम. सेरूवाला बज्जु बीकानेर।
5 मायादेवी पत्नी भागीरथ पुत्री लिछीराम जाति कुम्हार निवासी हनुमानगढ टाउन।
6 इन्द्रा पत्नी रजीराम पुत्री लिछीराम जाति कुम्हार निवासी मोहनमगरिया तहसील हनुमानगढ।
7 कृष्णादेवी पत्नी देवीलाल पुत्री लिछीराम जाति कुम्हार निवासी डगरखेडा अबोहर फाजिलका (पंजाब)
8 चावलीदेवी पत्नी सोहन लाल पुत्री लिछीराम जाति कुम्हार निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
9 एम. जी. बी. बैंक मुण्डा।
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता — वादी
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8
3. राज पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 10

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 12.09.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 लिछीराम के नाम वाके चक 6 एम.डी. बी खाता संख्या 54/51 मे 2.320 हैक्टर मय गैरमुमकिन कमाण्ड अनकमाण्ड व वाके चक 8 के.एस.पी. खाता संख्या 61/49 मे 3.036 हैक्टर मय गैरमुमकिन भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदी वाके चक 6 एम.डी. बी खाता संख्या 54/51 सम्वत 2075–78 व वाके चक 8 के.एस.पी. खाता संख्या 61/49 सम्वत 2072–75 हमराह पेश है।

अर्जीदावा की दफा 3 मे वर्णित भूमि मुझ वादी के दादा स्व. नेतराम की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात् बसिलसिला विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 पर औद हुई। क्योकि उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण मुझ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 को भी बर्थ राईट हासिल है। चूंकि अब उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तो मुझ वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने आपस मे घरू बंटवारा कर लिया है घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) होने के पश्चात प्रतिवादीया 4 ता 8 ने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि मुझ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 का घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि का हक त्याग करने के पश्चात् मुझ वादी को वाके चक 6 एम.डी. खाता संख्या 54/51 मे

कलक्टर

लगातार 2

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 215/2019

1 जगदीश पुत्र श्री लिछीराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
– – वादी

–:: बनाम ::–

1 लिछीराम पुत्र नेतराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 हंसराज पुत्र लिछीराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 औमप्रकाश पुत्र लिछीराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 मायादेवी पत्नी औमप्रकाश पुत्री लिछीराम जाति कुम्हार निवासी चक 7 ए.एम. सेरूवाला बज्जु बीकानेर।
5 मायादेवी पत्नी भागीरथ पुत्री लिछीराम जाति कुम्हार निवासी हनुमानगढ टाउन।
6 इन्द्रा पत्नी रजीराम पुत्री लिछीराम जाति कुम्हार निवासी मोहनमगरिया तहसील हनुमानगढ।
7 कृष्णादेवी पत्नी देवीलाल पुत्री लिछीराम जाति कुम्हार निवासी डगरखेडा अबोहर फाजिलका (पंजाब)
8 चावलीदेवी पत्नी सोहन लाल पुत्री लिछीराम जाति कुम्हार निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
9 एम. जी. बी. बैंक मुण्डा।
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 12.09.2019

वादीगण की और से श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की और से श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 10 की और से राज पैराकार इस वाद में आज दिनांक ..12...09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 लिछीराम के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 6 एम.डी. व चक 8 के.एस.पी. कुल 5.356 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 को 1.386 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 हंसराज को 1.292 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 3 औम प्रकाश को 1.179 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी जगदीश पुत्र श्री लिछीराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
6 एम.डी.बी	54/51	168/316	5/2 में 0.232, 6/1 में 0.245, 16/1 में .245, 25/2 में 0.244	1.209 हैक्टर
8 के.एस.पी.	61/49	163/314	18/.177	0.177 हैक्टर
कुल भूमि :–				1.386 हैक्टर

लगातार 2

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

2. प्रतिवादी संख्या 2 हसंराज पुत्र श्री लिछीराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
6 एम.डी.बी	54/51	168/316	4/1 में 0.055, 7/2 में 0.043, 8/1 में .126, 13/.253, 14/.043, 18/.051	0.571 हैक्टर
8 के.एस.पी.	61/49	163/314	12/.253, 13/.253, 14/.215	0.721 हैक्टर
कुल भूमि :–				1.292 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 3 औमप्रकाश पुत्र श्री लिछीराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
6 एम.डी.बी	54/51	168/316	17/.043, 18/.202, 23/.253, 24/.042	0.540 हैक्टर
8 के.एस.पी.	61/49	164/314	12/.213, 19/.213, 20/.213	0.639 हैक्टर
कुल भूमि				1.179 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक ....12..09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

—:: वाद के खर्चे ::—

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	— —	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	— —
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	— —	अर्जी के लिये स्टाम्प	— —
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	— —	प्लीडर की फीस	— —
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	— —	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	— —
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	— —	आदेशिका की तामिल	— —
कमिश्नर की फीस	— —	कमिश्नर की फीस	— —
आदेशिका की तामिल	— —		
योग	— —	योग	— —

Copy - Not Official

Scanned by CamScanner